

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 488/2024
अनवान : -

1. प्रेम कुमार पुत्र जयसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. हंसराज पुत्र जयसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. विकास पुत्र दयाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. जयसिंह पुत्र पुर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री पुर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. कमला देवी पुत्री पुर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. माड़ी देवी पुत्री पुर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. गुड्डी देवी पुत्री पुर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
8. सावत्री देवी पुत्री पुर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
9. चन्द्रकला पुत्री जयसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
10. सपना पुत्री दयाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955


उपस्थिति :- श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादीगण
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 18/06/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 260/260 की कुल 8.7380 हैक्ट भूमि पुर्णराम पुत्र जेठा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 156/158 की कुल 9.3330 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 155/157 की कुल 2.5290 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा पुर्णराम व पिता पुर्णराम वादी संख्या 3 के नाम दर्ज है। वादी के दादा पुर्णराम का देहांत हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के एक


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पुत्र दयाराम का भी देहांत हो चुका है। उक्त वाद भूमि के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने क अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 जो की वादी की बुआ है व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 10 ने अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 260/260 व खाता स0 156/158 की वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है तथा खाता स0 155/157 की वाद भूमि पर प्रतिवादी स0 3 यथावत काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण दयाराम व पुर्णराम, वारिसान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा पुर्णराम व पिता प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है। वादी के दादा पुर्णराम का देहांत हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के एक पुत्र दयाराम का भी देहांत हो चुका है। उक्त वाद भूमि के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने क अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 जो की वादी की बुआ है व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 10 ने अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर

शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 260/260 व खाता स0 156/158 की वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 260/260 की कुल 8.7380 हैक्ट भूमि पुर्णराम पुत्र जेठा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 156/158 की कुल 9.3330 हैक्ट भूमि एवं खाता स0 155/157 की कुल 2.5290 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा पुर्णराम व पिता प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज है। वादी के दादा पुर्णराम का देहांत हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 3 के एक पुत्र दयाराम का भी देहांत हो चुका है। उक्त वाद भूमि के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने क अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 8 जो की वादी की बुआ है व प्रतिवादी संख्या 9 व 10 उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 10 ने अपना समस्त हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 260/260 व खाता स0 156/158 की वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक पुर्णराम एवं दयाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 260/260 की कुल 8.7380 हैक्ट भूमि में पुर्णराम पुत्र जेठा का नाम कलमजन किया जाता है व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर खाता स0 156/158 की 9.3330 हैक्ट भूमि में जयसिंह पुत्र पुर्णराम का नाम कलमजन किया जाता है एवं

उक्त दोनो खातो में वादी व प्रवितवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता स0 155/157 की वाद भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 488/2024
अनवान : -

1. प्रेम कुमार पुत्र जयसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
- वादी

बनाम्

1. हंसराज पुत्र जयसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. विकास पुत्र दयाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
3. जयसिंह पुत्र पुर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री पुर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
5. कमला देवी पुत्री पुर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
6. माड़ी देवी पुत्री पुर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. गुड्डी देवी पुत्री पुर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
8. सावत्री देवी पुत्री पुर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
9. चन्द्रकला पुत्री जयसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
10. सपना पुत्री दयाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 488 सन 2024 निर्णय दिनांक - 18/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 260/260 की कुल 8.7380 हैक्ट भूमि में पुर्णराम पुत्र जेठा का नाम कलमजन किया जाता है व रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर खाता स0 156/158 की 9.3330 हैक्ट भूमि में जयसिंह पुत्र पुर्णराम का नाम कलमजन किया जाता है एवं उक्त दोनो खातों में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता स0 155/157 की वाद भूमि प्रतिवादी स0 3 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर